न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संः— 2024 / 433 दर्ज तिथिः— 02.09.2024

1. करनाराम पुत्र गुणेशाराम
2. पुनमाराम पुत्र गुणेशाराम
3. अमरराम पुत्र मूलाराम
4. बाबुराम पुत्र मूलाराम
5. मानी देवी पत्नी मूलाराम

जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. नानगाराम पुत्र निम्बाराम
2. पेमाराम पुत्र निम्बाराम
3. पोलाराम पुत्र निम्बाराम
4. अणसीदेवी पत्नी नानगाराम
5. दमीदेवी पत्नी पोलाराम
6. दलूदेवी पत्नी पेमाराम

जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा।

7. करनाराम पुत्र हरचन्दराम
8. खेताराम पुत्र हरचन्दराम
9. घमण्डाराम पुत्र हरचन्दराम
10. धन्नाराम पुत्र हरचन्दराम
11. भूराराम पुत्र हरचन्दराम
12. मूलाराम पुत्र हरचन्दराम
13. हरदानराम पुत्र हरचन्दराम
14. लक्ष्मी पत्नी हरचन्दराम

जाति जाट निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

15. खेताराम पुत्र गोरधनराम
16. खेमाराम पुत्र लालाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

17. मोटाराम पुत्र पेमाराम
18. हुकमाराम पुत्र पेमाराम
19. खेताराम पुत्र दानाराम
जातियान कुम्हार निवासीगण मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा।

...........असल अप्रार्थीगण

20. तहसीलदार नोखड़ा

................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री दलाराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 23.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 42/11/1.6349 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश दिनांक 09.04.2022 की पालना में दिनांक 17.06.2022 को पटवारी हल्का मंगले की बेरी द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 42/11/1.6349 है0, 42/13/8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 17.06.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 42 / 11 / 1.6349 है0 42 / 13 / 8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर अनुतोष चाहा गया था। परंतु टंकणीय भूल से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में केवल खसरा संख्या 42 / 11 ही अंकित हुआ है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ खसरा संख्या 42 / 11 / 1.6349 है0 42 / 13 / 8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा का राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा करवाई गई पैमाईश की प्रति संलग्न की गई है। खसरा संख्या 42 / 13 के पड़ोसी खातेदार पूर्व से ही पत्रावली पर पक्षकार बनाये हुए हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 42 / 11 / 1.6349 है0 42 / 13 / 8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा को सम्मिलित करते हुए नेखमबंदी आदेश पारित करने का निवेदन है।

4. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

6. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम मंगले की बेरी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखडा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 42 / 11 / 1.6349 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा हेतु नेखमबंदी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 42 / 11 / 1.6349 है0 42 / 13 / 8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा के राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा की गई पैमाईश रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदन–पत्र में टंकणीय भूल हुई है। उक्त खसरा संख्या 42 / 13 को आवेदन–पत्र में सम्मिलित करने से कोई विपरीत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। बल्कि प्रार्थी के टंकणीय भूल से वंचित रहे खसरा संख्या 42 / 13 को भी पत्रावली पर सम्मिलित किया जाकर वाद की बहुलता से बचा जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित आवेदन–पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम मंगले की बेरी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 16.07.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 42/11/1.6349 है0, 42/13/8.2718 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested